(९१.५)

(40)

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 92वीं बैठक की कार्यवाही ।

स्थान	:	कुलपति कक्ष, कानपुर ।
तिथि	:	9-7-1993
समय	:	11 बजे [पूर्वान्ह]

उपस्थिति :

1-	डा० उदय बीर सिंह, कुलपति	- अध्यक्ष
2-	पदमश्री रानीलीला राम कुमार भार्गव भूतपूर्व सदस्य विधान परिषद	- सदस्य
3-	श्री के०डी० श्रीवास्तव विशेष सचिव[उच्च शिक्षा]	- सचिव [उच्च शिक्षा] के प्रतिनिधि
4-	श्री अनूप मिश्रा, विशेष सचिव[वित्त]	- प्रमुख सचिव[वित्त] के प्रतिनिधि
5-	श्री राजीव चन्द्र, संयुक्त सचिव[कृषि]	- कृषि सचिव के प्रतिनिधि
6-	डा०एस०सी०जैन, सहायक महानिदेशक [एपीडी]	- सदस्य
7-	डा० किरन सिंह, सहायक महानिदेशक [ए०एस०]	- सदस्य
8-	चौधरी विक्रम सिंह	- सदस्य
9-	श्री अतर सिंह	- सदस्य
10-	श्री सुन्दर लाल, अर्थ नियन्त्रक	- सचिव

92:1 प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 25-6-1993 को सम्पन्न हुयी 91वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन ।

प्रबन्ध मण्डल ने दिनांक 25-6-93 को सम्पन्न हुयी 91वीं बैठक की कार्यवृत्ति का अनुमोदन किया ।

92:2 डा० जे०एन० द्विवेदी, अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा द्वारा महामहिम कुलाधिपति महोदय एवं कुलपति महोदय के आदेशों की अवहेलना पर उनके निलम्बन का प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने विचारोपरान्त डा० एस०सी० जैन को इस प्रकरण में आरोप पत्र जारी करने के लिये अधिकृत किया । डा० जैन आरोप पत्र जारी करने के पूर्व डा० द्विवेदी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान करेंगे । कुलपति डा० जैन को जांच अधिकारी नियुक्ति करने विषयक पत्र एवं आरोपों का विवरण देंगे ।

92:3 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव :

[1] मथुरा प्रांगण के डा० पी० राय द्वारा रिक्त किये गये आवास को वी०आई०पी० गेस्ट हाउस एनेक्सी घोषित किये जाने पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

-----2

39

(2) प्रबन्ध मण्डल द्वारा डा० आर०पी० सिंह, सीनियर फार्म मैनेजर (भूतपूर्व) मथुरा के आफिसर्स गेस्ट हाउस का बकाया किराया वसूलने के सम्बन्ध में कार्यालय की जो आख्या प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 1-2-93 में प्रस्तुत हुयी थी उस पर प्रबन्ध मण्डल ने जो उत्तर डा०आर०पी० सिंह से मांगने को कहा था उस पर डा० आर०पी० सिंह के उत्तर पर प्रबन्ध मण्डल का विचार किया जाना।

प्रबन्ध मण्डल ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि डा० सिंह से किराये की वसूली की जाय।

(3) डा० आर०पी० सिंह, प्रोफेसर पोल्ट्री साइंस को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति पर जाने की स्वीकृति का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने विचारोपरान्त डा० आर०पी० सिंह को दो वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखने की स्वीकृति प्रदान की।

(4) प्रबन्ध मण्डल की 91वीं बैठक दिनांक 25-6-93 के प्रस्ताव संख्या 91:4(8) डा० के०एन० तिवारी, चीफ साइंटिस्ट के प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाये जाने पर विश्वविद्यालय के अधिवक्ता की राय।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि डा० के०एन० तिवारी को 31-8-93 तक का समय देते हुये अन्तिम नोटिस दे दीजाय कि यदि वे उक्त तिथि तक अपने मूल पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते तो उनकी सेवायें स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

(5) डा० आर०पी० सिंह, सीनियर फार्म मैनेजर के प्रकरण पर प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 25-6-93 के मद संख्या 91:4(7) पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा मांगी गयी आख्या पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि अगली बैठक में पूर्ण विवरण के साथ उक्त प्रकरण प्रस्तुत किया जाय।

(6) श्री मोहम्मद इस्लाम, चालक, कृषि अभियन्त्रण विभाग की पत्नी को प्राइवेट कानपुर नर्सिंग होम में हुई चिकित्सा पर हुये व्यय के भुगतान पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने चिकित्सा विभाग के शासनादेश के प्राविधानों के तहत सत्यापन के उपरान्त व्यय में से केवल अनुमन्य धनराशि रु0 7584.70 की प्रतिपूर्ति किये जाने की स्वीकृति प्रदान की।

नियुक्तियों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश पर महामहिम कुलाधिपति महोदय को संदर्भित किये गये प्रकरण पर अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल को अवगत कराया कि महामहिम कुलाधिपति से अभी तक निर्देश प्राप्त नहीं हो सके हैं। इस पर प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि महामहिम कुलाधिपति महोदय का अन्तिम निर्णय प्राप्त होने के बाद प्रकरण अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

अनुमोदित

कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल